फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती मधुबाला बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड

किस्म मुकदमा – 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या 64/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 03.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार कानोड से रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहें। तहसीलदार कानोड द्वारा पृथक से जवाब पेश नहीं करना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 से 6 द्वारा उपस्थित होकर तहसीलदार कानोड से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि नवीन सेटलमेंट के बाद राजस्व रेकर्ड में भूमि इस प्रकार दर्ज हुई जिसके अनुसार ग्राम वरनोदा पटवार हल्का मोतीदा तहसील कानोड जिला उदयपुर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी 2078 वर्ष (2021) पुराना खाता संख्या 9, 197 में दर्ज साबीक आराजी खसरा संख्या 21/5/1 रकबा 2–05 बिघा के बजाय नवीन सेटलमेंट जमाबन्दी संवत् 2078–2081, जमाबन्दी से स्थायी जमाबन्दी खाता संख्या नया 135 आराजी खसरा संख्या 171 क्षै. 0.4000 है., खसरा संख्या न. 2046/158 रकबा 0.1900 है. कुल किता 2 रकबा 0.5900 है. भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदार हिस्सा पूर्ण नाम दर्ज है। इसी तरह राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी 2069–2072 पुराना खाता संख्या 9, 197 में दर्ज साबीक आराजी खसरा संख्या 21/5 मी., जमाबन्दी से स्थायी जमाबन्दी खाता संख्या नया 233 में दर्ज खसरा संख्या 158 क्षै. 1.1900 है. किस्म बीड प्रथम लगानी 2.38 रू. श्री सुखलाल पिता सुखलाल तेली नि. भीण्डर के नाम दर्ज हुई, श्री सुखलाल पिता ओंकार लाल तेली ने बेचान से नामान्तरकरण 87 दिनांक 03/06/2024 बेचान से विपक्षी संख्या 2 से 6 के नाम पर दर्ज हुई। यह कि प्रार्थीया कि खातेदारी भूमि के नवीन सेटलमेंट अनुसार प्रार्थीया के खातेदारी भूमि का कलम न. 2 अनुसार खातेदारी रूप में राजस्व रेकर्ड में अंकन हुआ परन्तु उक्त भूमि के साबिक नक्शे में वर्णित भूमि को नवीन राजस्व नक्शे में तत्कालिन राजस्व कार्मिको ने विपक्षी संख्या 2 से 6 को लाभ पहुचाने के लिए पूर्व बंटवाडा साबीक नक्शे के विपरीत बिना किसी आधार व बिना किसी पूर्व रेकर्ड को जांच किये रेकर्ड में हेराफेरी कर बिना किसी मिलान खसरे के नवीन राजस्व नक्शे में गलत रूप में तरमीम कर एवं गलत न. डाल दिये जब कि साबिक बंटवाडे फहरिश्त व साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थीया का पडोस पूर्व–श्री गौरव पुत्र योगेन्द्रकुमार जैन निवासी भीण्डर पश्चिम–श्री सुखलाल पुत्र ओंकारलाल तेली निवासी भीण्डर, उत्तर–सरकारी भूमि, व दक्षिण–साबिक खसरा संख्या 22 मी. का है। जिसके नवीन खसरा संख्या 171 व 2046/158 नवीन नक्शे में गलत जगह नम्बर व तरमीम की गयी है इसी तरह राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी 2069–2072 पुराना खाता संख्या 9, 197 में दर्ज साबीक आराजी संख्या 21/5 मी. रकबा 5–10 बीघा के बजाय नवीन सेटलमेंट जमाबन्दी संवत् 2078 –81, जमाबन्दी से स्थायी जमाबन्दी खाता संख्या नया 233 में दर्ज खसरा संख्या 158 क्षै. 1.1900 है. किस्म बीड प्रथम लगानी 2.38 रू. श्री सुखलाल पिता सुखलाल तेली नि. भीण्डर के नाम दर्ज हुई जो बाद में विपक्षी संख्या 2 से 6 के नाम विक्रय से दर्ज हुई है, जो गलत है साबिक नक्शे बंटवाडा फहरीश्त अनुसार विपक्षी संख्या के 2 से 6 के पूर्व खातेदार श्री सुखलाल पिता ओंकार लाल तेली निवासी भीण्डर का पडोस पूर्व– मधुबाला पत्नी योगेन्द्रकुमार जैन निवासी भीण्डर, पश्चिम –सरकारी बिलानाम भूमि, उत्तर– सरकारी भूमि, दक्षिण–साबिक आराजी नं. 22 मी. था, जिसके नवीन नक्शें में खसरा संख्या 158 गलत जगह न. व तरमीम की है जो गलत है, नवीन खसरा 158 मौका स्थिति एवं साबिक नक्शा एवं नवीन नक्शा की स्थिति का अवलोकन [illegible] नवीन राजस्व नक्शें में उक्त कलम न. 2 में वर्णित भूमि का गलत तरमीम व न. [illegible] खसरा संख्या 2046/158 पूर्वी ओर होना चाहिये जिसे पश्चिम तरफ नक्शे [illegible] प्रार्थीया द्वारा नवीन सेटलमेंट के बाद हुई त्रुटि को सुधार [illegible] निवेदन [illegible]। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें बताया कि प्रार्थीया के [illegible] वरनोदा पटवार हल्का [illegible] के गत सेटलमेंट साबिक आराजी न. 21/5 रकबा 8–05 बीघा भू[illegible] का सहमति विभाजन [illegible]बिक आराजी न. 21/5/1 रकबा 2–15 बिघा एवं आराजी न. 21/5 मी. रकबा 5–10 बिघा दर्ज रेकर्ड जिसमे प्रार्थीया श्रीमती मधुबाला की भूमि प्रार्थीया के पुत्र श्री गौरव कुमार पिता योगेन्द्र जैन के न दर्ज 5 बीघा भूमि के पश्चिम दिशा की पाली से लगती हुई साबिक नक्शे में तरमीम होकर अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:24:58 IST
Reason: SelfAttested

थी। तहसीलदार कानोड द्वारा बताया कि ग्राम बरनोदा के साबिक आ.न. 21/5 के नवीन सेट के बाद मिलान खसरा पत्रक अनुसार हाल आराजी न. 158 व 171 बने जिनका तरमीम नवीन नक्शे संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार किया गया जिसमे प्रार्थीया के नाम सहमति विभाजन अनुसार आ.न. रकबा 0.4000 है. व आ.न. 2046/158 रकबा 0.1900 है. कुल किता 2 रकबा 0.5900 है भूमि दर्ज गयी। प्रार्थीया के हिस्से में आयी भूमि को गत नक्शा अनुसार नही दर्शा कर अन्य जगह पर द गई जहा प्रार्थीया का किसी प्रकार का कब्जा नही है प्रार्थीया का कब्जा साबिक आराजी न. में सह बटवाडा अनुसार की गई तरमीम अनुसार मौके पर काबिज है जिसका हाल आराजी न. 157 रकबा 5400 है. बिलानाम सरकार दर्ज है जो कि साबिक आराजी न. 21 से बना है उक्त आराजी न. प्रार्थीया श्रीमती मधुबाला के पुत्र श्री गौरव कुमार पिता योगेन्द्र जैन के नाम दर्ज हाल आ.न. रकबा 1.08 है. भूमि के पश्चिम दिशा की पाली से लगती हुई है। तहसीलदार कानोड द्वारा अ रिपोर्ट में बताया कि साबिक आराजी न. 21/5 रकबा 8-05 रकबा में से प्रार्थीया के हिस्से में भूमि (जिनके नवीन सेटलमेंट के बाद मिलान श्री. अनुसार हाल आ.न. 171 रकबा 0.4000 है व 2046/158 रकबा 0.1900 है. कुल किता 2 रकबा 0.5900 है. भूमि) को साबिक नक्शा में सह विभाजन अनुसार की गई तरमीम के अनुसार नवीन सेटलमेंट में नही बैठा कर अन्य जगह तरमीम दी गई जहां प्रार्थीया का किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। प्रार्थीया का कब्जा साबिक आराजी में सहमती बंटवाडा अनुसार की गई तरमीम अनुसार मौके पर काबिज है जिसका हाल आराजी न. रकबा 2.5400 है. बिलानाम सरकार दर्ज है जो कि साबिक आराजी न. 21 से बना है। पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीया के नाम हाल आराजी न 171 रकबा 0.4000 है व आराजी 2046/158 रकबा 0.1900 है. कुल किता 2 रकबा 0.5900 है. भूमि को बिलानाम घोषित किया जा हाल आराजी संख्या 157 रकबा 2.5400 है. भूमि किस्म बीड द्वि. बिलानाम भूमि में से 0.5900 है. प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार आराजी संख्या 159 के पश्चिम दिशा में तरमीम किया जाना प्रस्ता किया। विपक्षी संख्या 2 से 6 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

हमने पाया कि नामान्तरकरण संख्या 680 से प्रार्थीया व अन्य खातेदार के मध्य सहमती विभा हुआ जिसमें प्रार्थीया के नाम साबिक आराजी न. 21/5/1 रकबा 2 बिघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज हुई जो जमाबंदी संवत् 2069-72 से स्पष्ट है। तहसीलदार कानोड द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कि है कि ग्राम बरनोदा के साबिक आ.न. 21/5 के नवीन सेटलमेंट के बाद मिलान खसरा पत्रक अनु हाल आराजी न. 158 व 171 बने जिनका तरमीम नवीन नक्शे में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार कि गया जिसमें प्रार्थीया के नाम सहमति विभाजन अनुसार आ.न. 171 रकबा 0.4000 है. व अ 2046/158 रकबा 0.1900 है. कुल किता 2 रकबा 0.5900 है. भूमि दर्ज की गयी। प्रार्थीया के हिस्से आयी भूमि को गत नक्शा अनुसार नहीं दर्शा कर अन्य जगह पर दर्शाई गई जहां प्रार्थीया का कि प्रकार का कब्जा नहीं है प्रार्थीया का कब्जा साबिक आराजी न. में सहमति बंटवाडा अनुसार की तरमीम अनुसार मौके पर काबिज है जिसका हाल आराजी न. 157 रकबा 2.5400 है. बिलानाम सर दर्ज है जो कि साबिक आराजी न. 21 से बना है उक्त आराजी न. 157 प्रार्थीया श्रीमती मधुबाला पुत्र श्री गौरव कुमार पिता योगेन्द्र जैन के नाम दर्ज हाल आ.न. 159 रकबा 1.08 है. भूमि के पश्चि दिशा की पाली से लगती हुई है। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार नहीं कर अन्यत्र कर दी जिसे प्रस्ता नक्शा ट्रेस-सी अनुसार कर प्रस्तावित किया। अतः उपरोक्त विवेचन व तहसीलदार कानोड की रि के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी .का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है कि मौजा बरनोदा पटवार हल्का मोतीदा तहसील कानोड जिला उदयपुर की आराजी न. 171, 2046/158 किता 2 रकबा 0.5900 है. भूमि प्रार्थीया श्रीमती मधुबाला योगेन्द्रकुमार जाति जैन के बजाय बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने व आराजी न. 157 रकबा 2.5 है. भूमि में से 0.5900 है. भूमि बिलानाम सरकार के बजाय प्रार्थीया श्रीमती मधुबाला पत्नी योगेन्द्र जाति जैन के नाम दर्ज किये जाने व प्र[illegible] नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश जाते हैं। शेष बदस्तुर रहें। [illegible] लिखा जावें। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो [illegible] ईजलास [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:24:58 IST
Reason: SelfAttested